संख्या—422/49—2—2010—310/98

प्रेषक,

श्री अमल कमार वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक सहकारी समितियां उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग—2 लखनऊ दिनांक 29 मार्च 2010

विषयः—वेतन समिति (2008) के आठवें प्रतिवेदन में सहकारी निरीक्षक वर्ग—2/सहायक विकास अधिकारी (सह0) के वेतनमानों की विसंगति/उच्चीकरण के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति 2000 द्वारा की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कम में सहकारिता विभाग के सहकारी निरीक्षक वर्ग—2/सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के पदों पर दिनांक 01 जनवरी 1996 से प्रभावी वेतनमान रू0 4500—7000 के स्थान पर रू0 5000—8000 के सादृश्य दिनांक 01 जनवरी 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनबैंड 9300—34800 तथा ग्रेड वेतन रू0 4200 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उपर्युक्त उच्चीकृत वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों का वेतन वित्त विभाग के शासनादेश सं0—वे0आ0—2—841/दस—2009—59(एम)/2008 दिनांक 24 दिसम्बर 2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

3— उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0—वे0आ0—2—335/दस—2010, दिनांक 29.03.10 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

अमल कुमार वर्मा
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या—422 (1)/49—2—2010 तददिनांक :—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2— अपर निबन्धक (प्रशासन) सहकारी समितियां, उ0प्र0, (मुख्यालय)।
3— संयुक्त निबन्धक (प्रशासन) सहकारी समितियां, उ0प्र0 (मुख्यालय)।
4— वित्त नियंत्रक, सहकारी समितियां उ0प्र0 लखनऊ।
5— वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1/2
6— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2
7— वित्त (सामान्य) अनुभाग—1/2
8— निदेशक अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।
9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
उप सचिव।

UKM_Punam-GO-Nov-09